

उपक्रम

1. आवेदक स्वीकार करता है कि विशेष रूप से इस उपक्रम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किए गए सभी पूंजीकृत नियमों का अर्थ इस उपक्रम ("लोन शर्तें") से जुड़े लोन के सामान्य नियमों और शर्तों के अंतर्गत दिया गया है, आवेदक ने इस आवेदन में उल्लिखित वित्त सुविधा के लिए मनीव्यूमोबाइल एप्लिकेशन (विज़डम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए ब्रांड नाम) ("प्लेटफॉर्म") पर आवेदन पत्र के माध्यम से एक आवेदन किया है। आवेदक घोषणा करता है कि इस आवेदन पत्र में दिए गए/भरे गए सभी विवरण और जानकारी सभी मामलों में सत्य, सही, पूर्ण हैं और कोई भी जानकारी रोकी नहीं गई है। आवेदक समझता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी उस लोन का आधार बनेगी जो विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("विज़डम फाइनेंस") आवेदक को देने का निर्णय ले सकता है और यदि इस आवेदन की प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि विज़डम फाइनेंस को यह ज्ञात होता है कि आवेदक ने कोई गलत या अधूरी जानकारी प्रदान की है, जाली या नकली दस्तावेज प्रदान किये गए हैं, इसे आवेदक द्वारा विज़डम फाइनेंस के साथ हेर फेर माना जाएगा और विज़डम फाइनेंस को इस लोन आवेदन को तुरंत अस्वीकार करने, किसी भी मंजूरी या आगे के ड्रॉ-डाउन को रद्द करने या आवेदन पत्र की प्रक्रिया के किसी भी चरण में दिए गए किसी भी लोन को वापस लेने का अधिकार होगा, विज़डम फाइनेंस और उसके कर्मचारी/प्रतिनिधि/एजेंट/सेवा प्रदाता इस तरह की अस्वीकृति के लिए या आवेदक को इस तरह की अस्वीकृति के बारे में सूचित करने में किसी भी देरी के लिए (किसी भी भुगतान के लिए जो आवेदक द्वारा रद्द करने से पहले किसी भी विक्रेता/सेवा प्रदाता को किया जा सकता है) आवेदक के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होंगे। आवेदक समझता है कि विज़डम फाइनेंस अन्य स्रोतों/एजेंटों से भी ऐसे उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करेगा जैसा कि गोपनीयता नीति के अंतर्गत विस्तृत किया गया है और आवेदक स्पष्ट रूप से इसके लिए सहमति/अनापत्ति प्रदान करता है। आवेदक आगे पुष्टि करता है कि आवेदक को विज़डम फाइनेंस से वित्त प्राप्त करने के सभी नियमों और शर्तों के बारे में जानकारी है। आवेदक विज़डम फाइनेंस को इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के संदर्भ में पूछताछ करने का अधिकार देता है, जिसे विज़डम फाइनेंस आवश्यक समझता है, जिसमें बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ ट्रांसयूनियन सिबिल शामिल हैं जहां आवेदक के बैंक खाते हैं। आवेदक समय-समय पर आवेदक का पैन नंबर/ प्रतिलिपि , अन्य पहचान पत्र /पता प्रमाण और बैंक खाता विवरण, आवेदक के लोन विवरण और पुनर्भुगतान इतिहास से संबंधित सभी सूचनाओं को अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि के साथ विनिमय/साझा करने के लिए विज़डम फाइनेंस को सहमति/अधिकार देता है और समय-समय पर ब्यूरो रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट प्राप्त करता है/ बनाता है जिसकी आवश्यकता हो सकती है और आवेदक इस जानकारी के उपयोग के लिए विज़डम फाइनेंस को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक या बैंकरप्सी कार्यवाही नहीं है।
2. आवेदक घोषणा करता है कि आवेदक अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह से परिचित है या उसने एक सलाहकार से परामर्श किया है जो अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से कुशल है, ताकि आवेदक वित्तपोषण दस्तावेजों में उल्लिखित लोन की शर्तों को समझ सके। आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक सुविधा से संबंधित सभी संचार अंग्रेजी में प्राप्त करना पसंद करता है। आवेदक आगे समझता है कि यदि आवेदक को यह दस्तावेज या सुविधा से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त हुआ है जिसका अनुवाद अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में किया गया है और यदि अनुवादित संस्करण का अर्थ अंग्रेजी संस्करण से अलग है, तो यह संस्करण सुविधा की शर्तों को नियंत्रित करेगा।
3. आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक भारत में विदेशी नागरिक या गैर प्रवासी भारतीय नहीं है।
4. आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक विज़डम फाइनेंस के निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी से संबंधित इकाई या रिश्तेदार नहीं है।
5. आवेदक समझता है कि विज़डम फाइनेंस की क्रेडिट नीति के अधीन, आवेदक को एक समग्र सुविधा स्वीकृत की जा सकती है जिसका आवेदक उपलब्ध अवधि के दौरान कई ड्रॉडाउन के माध्यम से एक निश्चित अवधि में उपयोग कर सकता है। आवेदक यह जानता है कि विज़डम फाइनेंस सुविधा को मंजूरी देने के समय आवेदक को स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि तय करने और किसी भी समय समग्र सीमा/निर्दिष्ट की गई सुविधा को बदलने या रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है। *आवेदक यह भी स्वीकार करता है कि आवेदक की सहमति के अधीन, उपलब्धता अवधि को वित्तपोषण दस्तावेजों में उल्लिखित समान नियमों और शर्तों पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस संबंध में एक पत्र के माध्यम से आवेदक और विज़डम फाइनेंस के बीच इस तरह के विस्तार को दर्ज किया जाएगा।*

6. आवेदक घोषणा करता है कि आवेदक ने लोन आवेदन को एकत्र करने वाले व्यक्ति को इस लोन आवेदन के साथ या उसके संबंध में नकद, वाहक चेक या किसी अन्य माध्यम से कोई भुगतान नहीं किया है। आवेदक इस लोन आवेदन को एकत्र करने वाले व्यक्ति को आवेदक द्वारा किए गए ऐसे किसी भी भुगतान के लिए विज़डम फाइनेंस या उसके कर्मचारियों/प्रतिनिधियों/एजेंटों/सेवा प्रदाताओं को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।
7. *आवेदक नोट करता है और स्वीकार करता है कि लोन विज़डम फाइनेंस द्वारा सीधे उस व्यापारी को वितरित किया जाएगा जिससे आवेदक ने समग्र सुविधा की स्वीकृति पर उत्पाद खरीदे हैं या सेवाएँ प्राप्त की हैं। आवेदक आगे यह भी स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस द्वारा सीधे व्यापारी को वितरित लोन को विज़डम फाइनेंस द्वारा आवेदक को लोन का वितरण माना जाएगा।*
8. आवेदक यह भी समझता है और स्वीकार करता है कि एक बार संसाधित और पूर्ण या आंशिक रूप से वितरित किए गए लोन को रद्द नहीं किया जा सकता है। लोन की राशि, ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, ईएमआई, पुनर्भुगतान की शर्तें और लोन के लिए लागू अवधि के बारे में आवेदक को अग्रिम रूप से सूचित कर दिया गया है और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि आवेदक लोन के लिए विज़डम फाइनेंस को पूर्ण रूप से पुनर्भुगतान नहीं कर देता।
9. आवेदक घोषणा करता है कि आवेदक टेलीफोन कॉल, या एसएमएस के माध्यम से आवेदक के मोबाइल नंबर पर लोन आवेदन के साथ-साथ इस उपक्रम में, या किसी अन्य संचार माध्यम दुवारा, लेन-देन संबंधी जानकारी, विभिन्न लोन प्रस्ताव योजनाओं या लोन प्रचार योजनाओं या किसी भी अन्य प्रचार योजनाएँ जो विज़डम फाइनेंस या मनीव्यू द्वारा प्रदान की जा सकती हैं के बारे में जानने का इच्छुक है और एतद्वारा विज़डम फाइनेंस या मनीव्यू और उसके कर्मचारियों, एजेंटों और सहयोगियों को ऐसा करने के लिए अधिकृत करता है। आवेदक पुष्टि करता है कि दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 में संदर्भित अवांछित वाणिज्यिक संचार के संबंध में कानून विज़डम फाइनेंस/मनीव्यू, उसके कर्मचारियों, एजेंटों और/या सहयोगियों से प्राप्त ऐसे संचार/कॉल/एसएमएस के लिए लागू नहीं होंगे। आवेदक स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस किसी भी तरह से, किसी भी अन्य उत्पाद या सेवाओं के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व, वादा, बयान या समर्थन नहीं करता है, जो मनीव्यू द्वारा प्रदान किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। आवेदक घोषणा करता है कि आवेदक टेलीफोन कॉल, या एसएमएस के माध्यम से आवेदक के मोबाइल नंबर पर लोन आवेदन के साथ-साथ इस उपक्रम में, या किसी अन्य संचार माध्यम दुवारा, लेन-देन संबंधी जानकारी, विभिन्न लोन प्रस्ताव योजनाओं या लोन प्रचार योजनाओं या किसी भी अन्य प्रचार योजनाएँ जो विज़डम फाइनेंस या मनीव्यू द्वारा प्रदान की जा सकती हैं के बारे में जानने का इच्छुक है और एतद्वारा विज़डम फाइनेंस या मनीव्यू और उसके कर्मचारियों, एजेंटों और सहयोगियों को ऐसा करने के लिए अधिकृत करता है। आवेदक पुष्टि करता है कि दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 में संदर्भित अवांछित वाणिज्यिक संचार के संबंध में कानून विज़डम फाइनेंस/मनीव्यू, उसके कर्मचारियों, एजेंटों और/या सहयोगियों से प्राप्त ऐसे संचार/कॉल/एसएमएस के लिए लागू नहीं होंगे। आवेदक स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस किसी भी तरह से, किसी भी अन्य उत्पाद या सेवाओं के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व, वादा, बयान या समर्थन नहीं करता है, जो मनीव्यू द्वारा प्रदान किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
10. आवेदक समझता है कि आवेदक के पास इस लोन आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करने का विकल्प है या जो समय-समय पर विज़डम फाइनेंस/मनीव्यू के लिए आवश्यक हो सकती है, हालांकि, यदि आवेदक आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो आवेदक मनीव्यू/विज़डम फाइनेंस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा। आवेदक एतद्वारा स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से विज़डम फाइनेंस को आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी/केवाईसी के किसी भी पहलू को सीधे या किसी भी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से एकत्र, स्टोर, साझा, प्राप्त और प्रमाणित करने के लिए अधिकृत करता है और ऐसी जानकारी का खुलासा अपने एजेंटों/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं को कर सकता है और इस तरह की जानकारी का उपयोग लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित समय अवधि के लिए उस तरीके से भी करता है जो इस लोन के प्रयोजनों के लिए विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक हो सकती है और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए आवेदक सहमति दे सकता है।
11. आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक ने सुविधा प्राप्त करने के लिए लोन शर्तों को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया है।

आवेदक यह भी समझता है कि लोन की शर्तें इस लोन आवेदन के अनुसार विज़डम फाइनेंस द्वारा दिए गए किसी भी ड्रॉडाउन पर लागू मानी जाएंगी।

12. आवेदक भारत के कानूनों के अंतर्गत वर्जित किसी भी कार्य के लिए विज़डम फाइनेंस द्वारा दी गई सुविधा का उपयोग नहीं करेगा।
13. आवेदक सहमत है और समझता है कि समग्र सुविधा आवेदक को ऐड-ऑन के रूप में दिए गए किसी भी बीमा और/या किसी भी तृतीय-पक्ष उत्पादों को स्वीकार करने के अधीन नहीं है। आवेदक स्वीकार करता है कि लोन आवेदन के साथ प्राप्त ऐसे बीमा और/या किसी तीसरे पक्ष के उत्पादों/सेवाओं का लाभ उठाना आवेदक का विवेकाधिकार होगा।
14. आगे आवेदक समझता है कि यदि आवेदक प्रस्तावित बीमा को स्वीकार करता है, तो विज़डम फाइनेंस बीमा कंपनी से आवेदक के दावे (जो भी तरीके से वर्णित है) के खिलाफ किए जा सकने वाले किसी भी धनवापसी/भुगतान से देय राशि को समायोजित करने के लिए स्वतंत्र है।
15. आवेदक जानता और समझता है कि इस आवेदन पत्र को जमा करने से सुविधा की मंजूरी की गारंटी नहीं मिलती है और विज़डम फाइनेंस किसी भी समय ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज का अनुरोध कर सकता है जैसा कि आवश्यक हो सकता है।
16. आवेदक आगे यह पुष्टि करता है कि वे ऋण दस्तावेजों के मानक मसौदे को क्षेत्रीय भाषाओं में यहाँ देख सकते हैं: <https://whizdmfinance.com/vernacular-disclosure-of-loan-documents/>। यदि आवेदक अपने ऋण दस्तावेज किसी विशेष क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे सहायता के लिए हमारी ग्राहक सहायता टीम से संपर्क कर सकते हैं।

लोन के लिए सामान्य नियम और शर्तें

यह विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय १७/१, तीसरी मंज़िल, द एड्रेस बिल्डिंग, आउटर रिंग रोड, मराठाहल्ली, कडुबिसेनाहल्ली, बेंगलुरु - ५६०१०३ (इसके बाद "विज़डम फाइनेंस" के रूप में संदर्भित है, जिसका अर्थ होगा और इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट), द्वारा दिए गए लोन के लिए सामान्य नियम और शर्तें ("लोन शर्तें") हैं।

I. परिभाषाएं

इस लोन की शर्तों और लोन आवेदन में निहित शर्तों और अभिव्यक्तियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

- a) **"लागू कानून"** का अर्थ है और इसमें कोई संविधि, कानून, विनियमन, अध्यादेश, नियम, निर्णय, कानून का शासन, आदेश, डिक्री, निकासी, अनुमोदन, निर्देश, दिशानिर्देश, नीति, आवश्यकता या अन्य सरकारी प्रतिबंध या किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्वगामी में से किसी के निर्णय या निर्धारण या किसी भी व्याख्या या प्रशासन के किसी भी समान रूप शामिल हैं, चाहे इन लोन शर्तों की तारीख के अनुसार या उसके बाद और प्रत्येक मामले में संशोधित किया गया हो।
- b) **"दी गई सुविधा"** का अर्थ वह अधिकतम राशि होगी जो ऋणी को दी गई समग्र सुविधा से ड्रॉडाउन के लिए उपलब्ध है और जो विज़डम फाइनेंस द्वारा समय-समय पर अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित किया गया है।
- c) **"उपलब्धता अवधि"** का अर्थ उस अवधि से होगा जिसके भीतर ऋणी दी गई सुविधा से ड्रॉडाउन का अनुरोध कर सकता है। ऐसी उपलब्धता अवधि (जब तक कि अन्यथा विज़डम फाइनेंस द्वारा सहमति न हो) ऋणी को समग्र सुविधा प्रदान करने की तारीख से 12 (बारह) महीने तक होगी।
- d) **"उपलब्ध सुविधा राशि"** का तात्पर्य किसी भी समय, निर्दिष्ट सुविधा की अप्रयुक्त राशि से है।
- e) **"ऋणी"** का अर्थ स्वीकृति पत्र और केएफएस में वर्णित ऋणी से होगा।
- f) **"व्यवसाय दिवस"** का अर्थ उस दिन से होगा, जिसमें सामान्य कार्य के घंटे शामिल हैं, जिस दिन निर्धारित बैंक बेंगलूर, भारत में कार्य करते हैं।

- g) **"ऋणी की देयता"** का अर्थ है ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को देय सभी रकम, जिसमें ड्राडाउन सम्मिलित है लेकिन इस तक सीमित नहीं है, ब्याज, अतिदेय प्रभार और अन्य सभी फीस, प्रभार, लागत और व्यय शामिल हैं।
- h) **"डाउनपेमेंट"** का अर्थ है प्रारंभिक भुगतान या खरीद मूल्य का एक हिस्सा, जो ऋणी द्वारा व्यापारी को सीधे भुगतान किया जाता है, जो किसी भी स्थिति में सुविधा का हिस्सा नहीं होगा।
- i) **"ड्रॉडाउन"** का अर्थ उपलब्धता अवधि के भीतर और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट सुविधा के प्रत्येक ड्रॉडाउन से होगा।
- j) **"नियत तारीख"** का अर्थ उस तारीख से है जिस पर ऋणी की देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए कोई राशि ऋणी से विज़डम फाइनेंस को पुनर्भुगतान अनुसूची या केएफएस के अनुसार देय है;
- k) **"ईएमआई"** का अर्थ है वह सामान्य मासिक राशि जिसका भुगतान ऋणी द्वारा लोन से संबंधित सभी देय राशियों के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान (यदि लागू हो) के लिए किया जाएगा।
- l) **"सुविधा/लोन"** का अर्थ है ड्रॉडाउन अनुरोध पर वितरित लोन राशि।
- m) **"वित्तपोषण दस्तावेज"** का अर्थ है स्वीकृति पत्र, इस लोन की शर्तें, लोन आवेदन, मुख्यांश कथन, पुनर्भुगतान अनुसूची, मुख्तारनामा, जिसमें संलग्न और ऋणी द्वारा निष्पादित या विज़डम फाइनेंस द्वारा समय-समय पर संशोधित आवश्यक कोई दस्तावेज, विलेख, घोषणा या कोई अन्य उपकरण शामिल हैं।
- n) **"मुख्यांश कथन"** या **"केएफएस"** का अर्थ है विज़डम फाइनेंस और ऋणी के बीच निष्पादित दस्तावेज, जिसमें सुविधा की शर्तों का विवरण दिया गया है जिसमें ब्याज दर (यदि कोई हो) प्रोसेसिंग फीस, अतिदेय प्रभार, अवधि, ईएमआई और ऐसे अन्य विवरण शामिल हैं, जो आवश्यक हो सकते हैं और के रूप में इन लोन शर्तों में संलग्न हैं किंतु सीमित नहीं है;
- o) **"लोन आवेदन"** का अर्थ है निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जो ऋणी द्वारा समय-समय पर वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए विज़डम फाइनेंस को प्रस्तुत किया गया है।
- p) **"बाज़ार"** का अर्थ ई कॉमर्स बाज़ार/भौतिक स्टोर है, जिसने ऑफरिंग की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए मनीव्यू या विज़डम फाइनेंस के साथ साझेदारी की है।
- q) **"महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव"** का अर्थ है किसी भी घटना या परिस्थिति, जो विज़डम फाइनेंस की राय में:
- (i) ऋणी की देय राशि का भुगतान करने की ऋणी की क्षमता को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है;
 - (ii) वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत ऋणी की निष्पादन क्षमता या अन्यथा उसके सभी या किसी भी दायित्व का अनुपालन करने की क्षमता को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है;
 - (iii) ऋणी के व्यवसाय, संचालन, संपत्ति, स्थिति (वित्तीय या) संभावनाओं को भौतिक या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है; अथवा
 - (iv) इसके परिणामस्वरूप कोई भी वित्तपोषण दस्तावेज ऋणी के विरुद्ध अपनी शर्तों के अनुसार कानूनी, वैध और बाध्यकारी नहीं होने और लागू करने योग्य होने की संभावना है।
- r) **"व्यापारी"** का अर्थ है तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता जो बाज़ार का स्वामित्व रखता है और उसका संचालन करता है।
- s) **"मनीव्यू"** का अर्थ है विज़डम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड।
- t) **"प्रस्ताव"** का अर्थ है ऋणी द्वारा निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग करके बाज़ार के माध्यम से खरीदा गया उत्पाद या सेवा।
- u) **"समग्र सुविधा"** का अर्थ है ऋणी को दी गई अधिकतम ड्रॉडाउन सीमा और जिसे विज़डम फाइनेंस द्वारा समय-समय पर अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित किया गया है।
- v) **"अतिदेय प्रभार"/"पेनल्टी प्रभार"** का अर्थ है केएफएस में यथा निर्धारित पेनल्टी प्रभार जो ऋणी द्वारा उपयोग किए गए सभी देय ड्राडाउन पर देय है जिनका भुगतान उनकी संबंधित नियत तारीखों पर नहीं किया जाता है।
- w) **"व्यक्ति"** का अर्थ है कोई भी सामान्य व्यक्ति, सीमित या असीमित दायित्व कंपनी, निगम, साझेदारी (चाहे सीमित या असीमित), स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, संघ, संगठन, सरकार या कोई संस्था या राजनीतिक उपखंड या कोई अन्य इकाई जिसे लागू कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है।
- x) **"पुनर्भुगतान अनुसूची"** का अर्थ है जब ऋणी ड्रॉडाउन शुरू करता है तब विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को सूचित किए गए प्रत्येक ड्रॉडाउन के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची।
- y) **"स्वीकृति पत्र"** का अर्थ है विज़डम फाइनेंस और ऋणी के बीच निष्पादित दस्तावेज जो समग्र सुविधा के व्यापक नियमों और शर्तों के साथ ऋणी को दी गई समग्र सुविधा को रेखांकित करता है।

II. पूर्ववर्ती शर्तें

- 1) समग्र सुविधा प्रदान करने के लिए विज़डम फाइनेंस का दायित्व, विज़डम फाइनेंस की संतुष्टि के लिए, उसके पूर्ण विवेक पर, निम्नलिखित शर्तों ("**पूर्ववर्ती शर्तें**") की पूर्ति के अधीन है:

- (a) इस अनुबंध के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणी के प्रतिरूप और वारंटी सभी महत्वपूर्ण मामलों में सही हैं और विज़डम फाइनेंस द्वारा समग्र सुविधा प्रदान किए जाने के बाद सभी महत्वपूर्ण मामलों में सही रहेंगे, जब तक कि दी की गई सुविधा के संबंध में सभी देय राशि चुकाई नहीं जाती है।
 - (b) अपने ग्राहक को जानें ("केवाईसी") लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज, विज़डम फाइनेंस को प्रस्तुत किए गए सत्य, सही और पूर्ण हैं;
 - (c) डिफॉल्ट अथवा महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की कोई घटना जारी नहीं है अथवा ऋणी को प्रस्तावित समग्र सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप नहीं होगी।
- 2) विज़डम फाइनेंस ऐसी शर्तों की बाद में पूर्ति की आवश्यकता के लिए विज़डम फाइनेंस के अधिकार को पूर्वाग्रहित किए बिना, पूरे या आंशिक रूप से और शर्तों के साथ या बिना किसी भी पूर्ववर्ती शर्त के माफ कर सकता है।

III. संवितरण

- 1) विज़डम फाइनेंस की संतुष्टि के लिए ऋणी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति या छूट के अधीन, विज़डम फाइनेंस इसके द्वारा ऋणी को समग्र सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत है। ऋणी एतद्वारा प्रतिनिधित्व करता है और वचन देता है कि इसके अंतर्गत लिए गए लोन का उपयोग केवल स्वीकृति पत्र/केएफएस में निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और ऋणी किसी भी अनैतिक, अवैध और/या सट्टा उद्देश्यों के लिए इसका या उसके हिस्से का उपयोग नहीं करेगा। ऋणी, विज़डम फाइनेंस के अनुरोध पर, ऐसे सभी विवरण और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जो लोन राशि के उपयोग के संबंध में आवश्यक हो सकते हैं।
- 2) ऋणी उपलब्धता अवधि के दौरान किसी भी समय, उपलब्ध सुविधा राशि की सीमा तक ड्रॉडाउन का अनुरोध कर सकता है और निर्दिष्ट सुविधा से अधिक नहीं। यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपलब्धता अवधि के दौरान कोई राशि निकाली गई है, तो ऐसी राशि उपलब्ध सुविधा राशि से कम कर दी जाएगी और उपलब्ध सुविधा राशि को सुविधा के किसी भी पुनर्भुगतान की सीमा तक फिर से नहीं भरा जाएगा। विज़डम फाइनेंस के पास ऐसे अनुरोध के खिलाफ ड्रॉडाउन की अनुमति देने या अस्वीकार करने का एकमात्र और पूर्ण विवेक होगा। व्यापारी को किया जाने वाला डाउनपेमेंट किसी भी स्थिति में सुविधा राशि में शामिल नहीं होगा।
- 3) ऋणी यह स्वीकार करता है कि ड्रॉडाउन अनुरोध के आधार पर विज़डम फाइनेंस द्वारा किए गए सभी संवितरण, व्यापारी द्वारा दी गई पेशकश का लाभ उठाने के लिए ऋणी द्वारा खरीद मूल्य के भुगतान के लिए व्यापारी के बैंक खाते में किए जाएंगे।
- 4) उपलब्ध सुविधा राशि में उपलब्धता अवधि के दौरान विज़डम फाइनेंस द्वारा अपने विवेकाधिकार पर संशोधन किया जा सकता है। उपलब्ध सुविधा राशि में कोई भी वृद्धि ऋणी की सहमति और विज़डम फाइनेंस की लागू नीतियों (किसी भी अन्य जानकारी और दस्तावेजों की आवश्यकता सहित) के अनुसार की जाएगी। इन लोन की शर्तों में निहित किसी भी बात के अतिरिक्त, ऋणी को लिखित रूप में नोटिस प्रदान करने के अधीन, विज़डम फाइनेंस को अपने विवेकाधिकार पर दी की गई सुविधा से किसी भी आगे के ड्रॉडाउन को रद्द करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 5) विज़डम फाइनेंस के पास ऋणी से प्राप्त होने वाले ऐसे अनुरोध पर समग्र सुविधा की सीमा तक दी गई सुविधा को बढ़ाने का पूर्ण विवेक होगा, बशर्ते ऋणी ऐसे पुनर्भुगतान निष्पादन मानदंडों को पूरा करता हो और ऐसे दस्तावेज/रिकॉर्ड/संपार्श्विक को विज़डम फाइनेंस को प्रस्तुत करता हो, जो विज़डम फाइनेंस उचित समझे। इस खंड के अंतर्गत दी की गई सुविधा में वृद्धि के विषय में विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को सूचित किया जाएगा।
- 6) ऋणी एतद्वारा सहमत है और स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस ने ऋणी की देय राशि के संग्रह का प्रबंधन करने के लिए मनीव्यू को नियुक्त किया है।
- 7) लागू कानूनों के अधीन, विज़डम फाइनेंस के पास गई सुविधा को बढ़ाने या घटाने के पूर्ण विवेकाधिकार को प्रयोग करने का अधिकार होगा।
- 8) यहां निहित अन्य शर्तों के अधीन, ऋणी द्वारा ड्रॉडाउन अनुरोध केवल उपलब्धता अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, जिसके बाद उपलब्ध सुविधा राशि समाप्त हो जाएगी।

IV. पुनर्भुगतान

- 1) ऋणी समझता है कि किसी विशेष ड्रॉडाउन में जारी की गई सुविधा केवल एक निर्दिष्ट अवधि के लिए है और इसे लागू एपीआर के साथ केएफएस में उल्लिखित समय-सीमा/किशतों के भीतर चुकाया जाना है। इस तरह के पुनर्भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, ऋणी लागू अतिदेय प्रभारों के साथ ऐसे पुनर्भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 2) ऋणी पुनर्भुगतान अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ऋणी की देय राशि का भुगतान करेगा।

ऋणी द्वारा ड्रॉडाउन अनुरोध के आधार पर सुविधा की मंजूरी/संवितरण के समय, विज़डम फाइनेंस केएफएस में अन्य चीजों के साथ निम्नलिखित विवरण निर्दिष्ट करेगा जैसा कि संलग्नक A में केएफएस प्रारूप में निर्धारित किया गया है।

ड्रॉडाउन राशि	अनुरोधित ड्रॉडाउन की राशि।
प्रोसेसिंग प्रभार	प्रोसेसिंग प्रभार, यदि लागू हो।
ब्याज दर	प्रत्येक ड्रॉडाउन के लिए ब्याज दर, यदि लागू हो।
मासिक ईएमआई	ईएमआई राशि जो ऋणी को ड्रॉडाउन के विरुद्ध मासिक आधार पर चुकानी होती है और ऋणी द्वारा चुनी गई पुनर्भुगतान अवधि पर आधारित होती है।
कार्यकाल	ऋणी द्वारा प्राप्त प्रत्येक ड्रॉडाउन के लिए, ऋणी ऐसे ड्रॉडाउन के पुनर्भुगतान के लिए एक विशेष कार्यकाल चुनने का हकदार होगा, जो विज़डम फाइनेंस द्वारा ऐसे कार्यकाल के अनुमोदन के अधीन होगा।

यदि ऋणी ने कई ड्रॉडाउन किए हैं, तो ऐसे प्रत्येक ड्रॉडाउन के पुनर्भुगतान के लिए ड्रॉडाउन स्वतंत्र रूप से ऋणी द्वारा निष्पादित केएफएस की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

- 3) ईएमआई केवल देय मूलधन और उस पर ब्याज के लिए होगी और इसमें वित्तपोषित दस्तावेजों के अनुसार ऋणी द्वारा देय कोई अतिदेय प्रभार या कोई अन्य प्रभार शामिल नहीं है।
- 4) समय पर देय राशियों का भुगतान अनुबंध का सार है। ऋणी स्वीकार करता है कि उसने देय राशियों की गणना की विधि (ईएमआई सहित) को समझ लिया है और वह इसका विरोध नहीं करेगा।
- 5) ऋणी गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण प्रभार, यदि लागू हो तो, का भुगतान लागू करों के साथ करेगा, जैसा कि केएफएस में कहा गया है।
- 6) ऋणी सभी ब्याज, करों, उपकारों और करों के अन्य रूपों का वहन करेगा, चाहे वह अभी या भविष्य में लागू हो, वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत विज़डम फाइनेंस को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में किसी भी समय किसी भी कानून के अंतर्गत देय हो। यदि ये विज़डम फाइनेंस द्वारा किए जाते हैं, तो यह ऋणी से वसूली योग्य होंगे, जिसमें कोई भी अतिदेय प्रभार जो लागू हो शामिल हो सकता है।
- 7) ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को देय सभी रकम का भुगतान बिना किसी कटौती के किया जाएगा। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल देय राशि की वसूली पर दिया जाएगा।
- 8) ऋणी द्वारा भुगतान की गई राशि को प्रथम अतिदेय ईएमआई, यदि कोई हो, के लिए; दूसरा, ब्याज की लिए; तीसरा दी गई सुविधा की मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए और अंत में लागत, प्रभार, व्यय और अन्य धन (यदि कोई हो) के लिए विनियोजित किया जाएगा। यहां कही गई किसी भी बात के अतिरिक्त, विज़डम फाइनेंस ऋणी (ओं) से प्राप्त भुगतानों के विनियोग के तरीके को किसी भी समय अपने विवेकाधिकार से और जिस तरह से उचित समझे, संशोधित करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के अतिरिक्त, ऋणी (ओं) को ऋणी के सभी देय के लिए, विज़डम फाइनेंस के प्रति उत्तरदायी बने रहना जारी रहेगा, जब तक कि विज़डम फाइनेंस की संतुष्टि के लिए इसका पूर्ण निपटान नहीं हो जाता।
- 9) ऋणी के पास केएफएस के अनुसार केएफएस में बताए गए मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) का भुगतान करके बिना किसी पेनल्टी के कूलिंग-ऑफ अवधि के भीतर, लोन से बाहर निकलने का विकल्प होगा,

जैसा कि केएफएस में निर्दिष्ट है। हालांकि, विज़डम फाइनेंस द्वारा लगाए गए प्रोसेसिंग प्रभार और अन्य वैधानिक प्रभार गैर-वापसी योग्य होंगे।

- 10) यदि किसी भुगतान की नियत तारीख कार्य दिवस नहीं है, तो राशि का भुगतान ऋणी द्वारा कार्य दिवस के तुरंत बाद किया जाएगा।
- 11) वित्तपोषण दस्तावेजों में कहीं कुछ भी बताये जाने के अतिरिक्त, ऋणी की सभी देय राशि ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को देय होगी, जब भी विज़डम फाइनेंस द्वारा अपने विवेकाधिकार पर और बिना किसी कारण के मांग की जाएगी, ऋणी ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर बिना किसी देरी या वरोध के ऐसी राशि का भुगतान करेगा।

v. ब्याज (यदि लागू हो)

- 1) ऋणी, ऋणी द्वारा किए गए प्रत्येक ड्रॉडाउन और अन्य सभी देय राशियों पर ब्याज या प्रभार का भुगतान करेगा। ब्याज, यदि कोई हो, मासिक आधार पर संयोजित किया जाएगा।
- 2) यदि किस्त का भुगतान देय तिथि पर नहीं किया जाता है, तो सभी अतिदेय राशियां केएफएस में निर्धारित अतिदेय प्रभार अर्जित करेंगी।
- 3) यदि किसी भी लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक हो तो विज़डम फाइनेंस उस स्थिति में ब्याज दर को संशोधित करने का हकदार होगा जब ऐसी सुविधा पर ब्याज लागू होता है, और विज़डम फाइनेंस लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन ऋणी की देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए ईएमआई की संख्या की पुनर्गणना कर सकता है। जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा निर्धारित किया गया है ईएमआई किसी भी दरों, करों, प्रभारों, आयात, लेवी और धन में वृद्धि के कारण स्वतः बढ़ जाएगी जो ईएमआई पर लगाई जा सकती है, और दरों, करों, प्रभारों, लगाए गए लेवी और धन में वृद्धि जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्वचालित रूप से इन लोन शर्तों के अंतर्गत स्वीकृत लोन का हिस्सा बन जाएगा। ऐसा कोई भी परिवर्तन जो विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को सूचित किया गया है ऋणी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 4) ब्याज (यदि लागू हो), अतिदेय प्रभार और अन्य सभी प्रभार दिन-प्रतिदिन के आधार पर अर्जित किए जाएंगे और वर्ष में 365 दिनों और बीते दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर गणना की जाएगी।
- 5) विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को दी गई सूचना के अनुसार ब्याज/प्रभार की दर में कोई भी परिवर्तन अंतिम और ऋणी पर बाध्यकारी होगा और इस तरह के परिवर्तन को भावी रूप से प्रभावी किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, केएफएस के प्रावधानों के अतिरिक्त, ऋणी इसी संशोधित दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होता है और इन लोन शर्तों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसी संशोधित दर का यहां ब्याज के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, और ऋणी (ओं) विज़डम फाइनेंस को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति या भुगतान करेगा जो ब्याज पर लगाए गए किसी भी कर के कारण केंद्र या राज्य सरकार को विज़डम फाइनेंस द्वारा भुगतान या देय हो सकती है ((ख) जब विज़डम फाइनेंस द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा लोन पर किए (अन्य प्रभार) और/अथवा अन्य प्रभारों की आपूर्ति की जाती है। ऐसे संशोधन के मामले में ऋणी ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, बिना किसी पूर्व भुगतान पेनल्टी के उपार्जित ब्याज (यदि लागू हो) के साथ संपूर्ण देय सुविधा का पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा।
- 6) ऋणी केएफएस के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों और प्रभारों के अधीन किसी भी लोन का पूर्व भुगतान कर सकता है।
- 7) लोन के संबंध में लोन खाते को आरबीआई के मौजूदा परिपत्रों/विनियमों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब ईएमआई (मूलधन और/या ब्याज) का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय तक देय रहता है, अर्थात्, लोन खाते को मूल देय तिथि से निरंतर चूक के 91 वें दिन एनपीए के रूप में चिह्नित किया जाएगा। विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए कृपया <https://whizdmfinance.com/> देखें।

vi. वाचा

- 1) ऋणी एतद्वारा वाचा करता है कि:
 - (a) तुरंत, विज़डम फाइनेंस के अनुबंध पर, विज़डम फाइनेंस को, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने और इस अनुबंध के निगमन के अपने अधिकार क्षेत्र के साक्ष्य में कानूनी, वैधानिक,

- प्रवर्तनीयता, या स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी भी प्राधिकरण की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करे (यदि लागू हो)।
- (b) सुनिश्चित करें कि इन लोन शर्तों के अंतर्गत सामान्यतः कंपनियों पर लागू होने वाले लागू कानूनों द्वारा अनिवार्य रूप से पसंद किए गए कार्यों को छोड़कर। इसके भुगतान कार्य को श्रेणीबद्ध किया जाता है और अपने सभी अन्य असुरक्षित और गैर-अधीनस्थ ऋणदाता के दावों के साथ कम से कम समरूप श्रेणीबद्ध करना जारी रखते हैं।
 - (c) लेन-देन संबंधी जानकारी, विभिन्न लोन प्रस्ताव योजनाओं, लोन प्रोत्साहन योजनाओं या किसी अन्य प्रचार योजनाओं को प्रदान करने के लिए टेलीफोन कॉल, या एसएमएस या संचार के किसी अन्य माध्यम से ऋणी से संपर्क करने के लिए विज़डम फाइनेंस और मनीव्यू को अपनी सहमति दें। इस संबंध में, ऋणी, विज़डम फाइनेंस और मनीव्यू को ऋणी को इस तरह के संचार/कॉल/एसएमएस भेजने के लिए स्पष्ट सहमति देता है, भले ही उन्होंने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के अंतर्गत दिए गए 'पूरी तरह से अवरुद्ध' विकल्प का विकल्प को चुना हो। इसके अतिरिक्त, ऋणी विज़डम फाइनेंस और मनीव्यू के पक्ष में इस स्पष्ट सहमति को प्रभावी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
 - (d) विज़डम फाइनेंस को ऋणी द्वारा प्रदान की गई या अन्यथा विज़डम फाइनेंस द्वारा प्राप्त की गई सभी सूचनाओं का उपयोग/संगृहीत करने के लिए अपनी सहमति दें, जिस तरह से वह इस सुविधा के प्रयोजनों के लिए या अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त समझता है और सहमत है कि विज़डम फाइनेंस इन लोन शर्तों के तहत ऋणी को दिए गए लोन के प्रयोजनों के लिए अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी अन्य तीसरे पक्ष को ऐसी जानकारी का खुलासा कर सकता है।
 - (e) सभी लागू कानूनों के साथ सभी मामलों में अनुपालन करें, जिनके अधीन यह हो सकता है (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित), और ऐसा करने में विफलता भौतिक रूप से वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करेगी;
 - (f) वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का निरीक्षण और प्रदर्शन;
 - (g) समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक बैंक खाता विवरण सहित सभी दस्तावेजों को तुरंत विज़डम फाइनेंस को वितरित करें;
 - (h) किसी भी ऋणी के खिलाफ किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही के बारे में विज़डम फाइनेंस को तुरंत सूचित करे;
 - (i) विज़डम फाइनेंस को किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में सूचित करना;
 - (j) कार्यालय / निवास / व्यवसाय के स्थान / पते / या रोजगार / पेशे/ व्यवसाय के किसी भी परिवर्तन / इस्तीफे / समाप्ति / बंद होने या आवेदन के समय दी गयी जानकारी में किसी अन्य परिवर्तन के बारे में 5 दिनों के भीतर लिखित रूप में विज़डम फाइनेंस को सूचित करे।
 - (k) परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के बारे में विज़डम फाइनेंस को सूचित करे/सलाह दें, जो ऋणी की कर निवास स्थिति को प्रभावित करता है और परिस्थितियों में इस तरह के बदलाव के 5 दिनों के भीतर एक उपयुक्त रूप से अद्यतन स्व-प्रमाणित फॉर्म के साथ विज़डम फाइनेंस को प्रदान करे।
 - (l) प्रतिभूति प्रदान करें, यदि कोई हो, जैसा कि वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्दिष्ट है या जैसा किसी भी ऋणी की क्रेडिट योग्यता में किसी भी बदलाव के मामले में विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक हो सकता है (जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा निर्धारित किया गया है);
 - (m) विज़डम फाइनेंस को जिस खाते से ई-मैडेट/एनएसीएच जारी किया गया है, उसमें वेतन और/या व्यावसायिक आय जमा करना सुनिश्चित करे;
 - (n) प्रत्येक ड्रॉडाउन का उपयोग केवल वित्तीय दस्तावेजों में वर्णित उद्देश्य के लिए करें।
- 2) ऋणी विज़डम फाइनेंस को (i) किसी भी बैंक के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद करने के लिए अधिकृत करता है जहां ऋणी एक खाता रखता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में जानकारी या विवरण प्राप्त करने के लिए और (ii) ऋणी की साख की निगरानी के लिए किसी भी ऋणी के किसी भी नियोक्ता के साथ जैसा कि विज़डम फाइनेंस आवश्यक समझे।
 - 3) ऋणी नीचे दिए अनुसार वचन देता है और कौल उठाता है:
 - (a) ऋणी किसी भी पेशकश के खरीद मूल्य में किसी भी वृद्धि के कारण निर्दिष्ट सुविधा राशि में किसी भी वृद्धि का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, खरीद मूल्य में किसी भी कमी की स्थिति में, विज़डम फाइनेंस अपने विवेक से, ड्रॉडाउन की मूल राशि को कम कर सकता है;
 - (b) व्यापारी/बाज़ार और उसके उपठेकेदार पेशकश की डिलीवरी के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होंगे और,

विज़डम फाइनेंस और मनीव्यू पेशकश की डिलीवरी या गैर-डिलीवरी में किसी भी देरी और/या उक्त पेशकश की गुणवत्ता, स्थिति, फिटनेस, उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में उत्तरदायी नहीं होंगे;

- (c) यदि व्यापारी/बाज़ार या ऋणी द्वारा पेशकश के लिए ऑर्डर रद्द कर दिया जाता है, तो विज़डम फाइनेंस संबंधित सुविधा को केवल तभी चुकाया हुआ मानेगा जब व्यापारी/बाज़ार पूरी राशि विज़डम फाइनेंस को वापस कर दे। व्यापारी/बाज़ार से प्राप्त रिफंड में किसी भी कमी के मामले में, विज़डम फाइनेंस लोन को बंद करने के लिए ऋणी से कमी की वसूली करने के लिए पात्र होगा।

VII. प्रतिनिधित्व और वारंटी

- 1) ऋणी विज़डम फाइनेंस का निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और वारंट करता है:
- (a) लोन आवेदन और किसी अन्य दस्तावेज में ऋणी द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी, चाहे ऋणी की साख का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो या नहीं, सत्य और सही है और किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है;
 - (b) ऋणी सभी लागू कानूनों के तहत, वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके अंतर्गत लेनदेन को निष्पादित करने के लिए सक्षम और हकदार है;
 - (c) ऋणी की आयु 18 वर्ष से अधिक है और यह लोन शर्तों एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी संविदा बनाती है जो इसकी शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय है;
 - (d) ऋणी घोषणा करता है कि वह किसी भी कानून द्वारा इस समग्र सुविधा या दी गई सुविधा का लाभ उठाने से निषिद्ध नहीं है;
 - (e) ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो विज़डम फाइनेंस के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या ऋणी की वित्तीय स्थितियों को प्रभावित करेगी या वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत उनके सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसकी देयता को प्रभावित करेगी;;
 - (f) ऋणी किसी भी कर या सरकारी देय राशि के भुगतान में डिफॉल्ट में नहीं है;;
 - (g) ऋणी सभी कार्यों, कर्मों और चीजों को करेगा, जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा इन लोन शर्तों की शर्तों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है;;
 - (h) कि ऋणी के खिलाफ कोई बैकरोप्सी या दिवालियापन की कार्यवाही नहीं है।
 - (i) ऋणी (A) किसी भ्रष्ट / कपटपूर्ण कार्यों / मिलीभगत / जबरदस्ती; (B) धन शोधन; या (C) आतंकवाद के वित्तपोषण के कार्यों में संलग्न नहीं है;
 - (j) ऋणी के आवासीय और आधिकारिक पत्तों का विवरण, जैसा कि ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को अंतिम बार प्रदान किया गया है, वैध और है और उक्त पत्तों में से किसी एक को पत्राचार के लिए वैध पता माना जाएगा जब तक कि अन्यथा लिखित रूप में ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को अधिसूचित न किया जाए; और
 - (k) खंड IX में यथा विनिर्दिष्ट डिफॉल्ट की कोई घटना घटित नहीं हुई है अथवा होने की संभावना नहीं है।
 - (l) यदि विज़डम फाइनेंस को संदेह है या यदि सुविधा के संबंध में गलत काम या धोखाधड़ी गतिविधि का संकेत है, तो विज़डम फाइनेंस आवश्यक जांच करने के लिए एक आंतरिक और/या बाहरी लेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझता है। ऋणी को ऐसी जांच शुरू करने से 7 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।
- 2) उपरोक्त खंड VII (1) में निर्धारित अभ्यावेदन ऋणी द्वारा उन तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में किए गए माने गए हैं, जो इन लोन शर्तों की तारीख से शुरू होने वाले प्रत्येक दिन मौजूद हैं, जब तक कि इन लोन शर्तों के अंतर्गत देय सभी राशियों का अपरिवर्तनीय और बिना शर्त भुगतान नहीं किया जाता है या सभी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया जाता है।

VIII. भुगतान का तरीका और, पुनर्भुगतान

- 1) ऋणी को प्रत्येक ड्रॉडाउन के अनुरोध या संवितरण के समय या समय-समय पर, विज़डम फाइनेंस की आवश्यकता के अनुसार, (i) वेतन से कटौती के लिए प्राधिकरण या (ii) ("ई-मैडेड्स") या (iii) नेशनल ऑटोमैटेड क्लियरिंग हाउस (डेबिट क्लियरिंग)/ कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग मैडेड (सामूहिक रूप से "एनएसीएच" के रूप में

संदर्भित) प्रदान करना होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा ऋणी के बैंक खाते के विरुद्ध बकाया राशि के भुगतान के लिए अधिसूचित किया गया हो। ऐसे ई-मैंडेट्स या एनएसीएच को ऐसे बैंक से और ऐसे स्थान से निकाला जाएगा, जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा सहमति व्यक्त की गई हो। ऋणी को पहली प्रस्तुति/देय तिथियों पर बिना चूक के सभी भुगतानों का सम्मान करना होगा। ऋणी/(ओं) द्वारा प्रदान किए गए ई-मैंडेट्स या एनएसीएच का उपयोग विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी के किसी भी बकाया की वसूली के लिए किया जा सकता है। बैंक खाते में किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति में ऋणी को तुरंत विज़डम फाइनेंस को सूचित करना होगा और (किसी भी स्थिति में) 7 (सात) दिनों के भीतर और ऋणी के बकाया के भुगतान के लिए निष्पादित ई-मैंडेट्स/एनएसीएच और अन्य दस्तावेजों को बदलना होगा, जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा समय-समय पर अपने विवेक से आवश्यक हो सकता है। विज़डम फाइनेंस अपने विवेक से ऋणी से एनएसीएच फॉर्म को बदलने/अपडेट करने का अनुरोध कर सकता है और ऋणी को नोटिस प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर अपडेट किया गया एनएसीएच प्रदान करना होगा।

- 2) ऋणी, हर समय, संबंधित देय तिथियों पर ऋणी की देय राशि के देय भुगतान के लिए अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि बनाए रखेगा। ऋणी उन बैंक खातों/खातों को बंद नहीं करेगा जिनसे ई-मैंडेट/एनएसीएच जारी किए गए हैं या रद्द नहीं करेगा या बैंक या विज़डम फाइनेंस को ई-मैंडेट/एनएसीएच के अंतर्गत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए निर्देश जारी नहीं करेगा और विज़डम फाइनेंस ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है।
- 3) ऋणी सहमत है और स्वीकार करता है कि ई-मैंडेट/एनएसीएच ऋणी की देय राशि के निर्वहन में स्वेच्छा से जारी किए गए हैं और किसी भी उद्देश्य के लिए या सुरक्षा के माध्यम से नहीं। ऋणी यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी ई-मैंडेट/एनएसीएच का अनादरण परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 और भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत एक आपराधिक अपराध है। सिविल और आपराधिक परिणामों के अतिरिक्त, ऋणी प्रत्येक ई-मैंडेट/एनएसीएच अनादरण (जैसा कि पुनर्भुगतान अनुसूची में निर्धारित है) के लिए अनादरण प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 4) किसी भी प्रकार का कोई विवाद या अंतर जो भी हो, ऋणी को किसी ड्रॉडाउन और/या ईएमआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या देरी करने का अधिकार नहीं देगा और विज़डम फाइनेंस संबंधित नियत तिथियों पर ई-मैंडेट/एनएसीएच प्रस्तुत करने का हकदार होगा।
- 5) ई-मैंडेट/एनएसीएच जारी करने के अतिरिक्त, देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऋणी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 6) ऋणी स्वीकार करता है और सहमत है कि विज़डम फाइनेंस, परिस्थितियों के अनुसार सही समझे तो, ईएमआई को बदलने या पुनर्निर्धारित करने का इस हद और सीमा तक अधिकारी होगा जो लागू कानूनों के तहत अनुमस्त है। विज़डम फाइनेंस अपने विवेकाधिकार में, ऋणी को उचित नोटिस के साथ निर्णय ले सकता है कि ऋणी द्वारा पुनर्भुगतान उस तिथि से किया जायेगा जिस तिथि से ईएमआई बदली व पुनर्निर्धारित की गयी है तथापि इस अनुबंध के अनुलग्नक में जो भी कहा गया हो।
- 7) किसी भी दस्तावेज में कही गई किसी भी बात के अतिरिक्त, लोन की निरंतरता विज़डम फाइनेंस के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर होगी और यह किसी भी समय, अपने विवेकाधिकार में और बिना कोई कारण बताए बिना, दी गई सुविधा की समीक्षा करने का अधिकार है और, लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन (i) दी गई सुविधा या समग्र सुविधा को तुरंत बदलना या दी गई सुविधा के किसी भी अप्रयुक्त हिस्से को समाप्त, कम, निलंबित या रद्द करना और/या वित्तपोषण दस्तावेजों या लागू कानून के अंतर्गत विज़डम फाइनेंस के लिए उपलब्ध किसी अन्य अधिकार और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दी गई सुविधा के किसी भी आगे उपयोग को उपलब्ध कराना बंद करना; और/या (ii) ड्रॉडाउन प्रदान करने को रद्द करना, अस्वीकार करना या मना करना। इस खंड के अनुसार दी गई सुविधा को रद्द करने, निलंबित करने या अस्वीकार करने की ऐसी किसी भी सूचना की सूचना पर या सेवा पर, ऋणी की देय राशि ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को लागत, करों, प्रभारों, ब्याज, अतिदेय प्रभारों, फीस और सभी राशियों के साथ देय हो जाएगी जो इस तरह के पुनर्भुगतान के लिए नोटिस में विज़डम फाइनेंस द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर देय हैं। विज़डम फाइनेंस द्वारा ऐसी मांग पर, ऋणी (ओं) को तथाकथित होने के 1 (एक) कार्य दिवस के भीतर, बिना किसी देरी या वीरोध के ऋणी के पूरे देय का भुगतान करना होगा। विज़डम फाइनेंस द्वारा दी गयी सूचना या सेवा, रद्दीकरण, निलंबन या अस्वीकृति ऋणी पर अंतिम, गैर-परक्राम्य और बाध्यकारी होगी। कोई भी रद्दीकरण, निलंबन या अस्वीकृति किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी या ऐसे वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत ऋणी की देयता का निर्वहन नहीं करेगी।

IX. डिफॉल्ट की घटना

- 1) निम्नलिखित उप-खंडों में निर्धारित प्रत्येक घटना या परिस्थिति डिफॉल्ट की घटना है।
- (a) ऋणी किसी भी ऋणी की देय राशि का भुगतान नियत तारीख पर करने में विफल रहता है या किसी भी कारण से इन लोन शर्तों के अंतर्गत दिए गए किसी भी एनएसीएच ई-मैडेट या अन्य लिखित के भुगतान को रोकने के लिए कोई निर्देश जारी करता है।
 - (b) वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत किसी भी शर्तों, वाचा, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन।
 - (c) ऋणी द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना।
 - (d) ऋणी की मृत्यु, मानसिक अक्षमता या कोई अन्य स्थायी विकलांगता।
 - (e) ऋणी किसी भी गैरकानूनी या अवैध उद्देश्य के लिए ड्रॉडाउन का उपयोग करता है।
 - (f) किसी भी घटनाओं, शर्तों या परिस्थितियों (कानून में किसी भी बदलाव सहित) में, जो विज़डम फाइनेंस की एकमात्र और पूर्ण राय में एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, जिसमें ऋणी के बैंकएसी/परिसमापन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की शुरुआत या इसकी किसी भी संपत्ति की कुर्की/ज़बती शामिल है।
 - (g) ऋणी द्वारा जानबूझकर स्वयं को किसी लोन से बचाने के लिए जो बकाया और देय हो गया है चूककर्ता या असक्षम घोषित किया गया है या ऋणी किसी भी लागू कानून के प्रयोजनों के अंतर्गत अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होने के लिए लिखित रूप में स्वीकार करता है क्योंकि वे देय हैं या, यदि ऋणी अपनी किसी भी ऋणग्रस्तता के पुनर्निर्धारण या पुनर्गठन के लिए किसी भी ऋणदाता के साथ बातचीत शुरू करता है।
 - (h) सुविधा प्रदान करना अब लागू कानूनों के अनुसार नहीं है या लोन की शर्तें इसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी नहीं हैं या ऋणी (ओं) द्वारा किसी अन्य कारण से इसकी शर्तों के अनुसार अप्रभावी होने का आरोप लगाया गया है या यह ऋणी (ओं) के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए गैरकानूनी बन गया है।

x. डिफॉल्ट के परिणाम

- 1) डिफॉल्ट की किसी भी घटना के होने पर और उसके बाद किसी भी समय, विज़डम फाइनेंस का अधिकार होगा, दी गयी सुविधा के संबंध में देय सभी राशियों को घोषित करने का दायित्व नहीं होगा, चाहे देय हो या नहीं, तुरंत चुकाने में असक्षम होने पर, विज़डम फाइनेंस अपने विवेकाधिकार पर किसी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो किसी भी लागू कानून के तहत विज़डम फाइनेंस को उपलब्ध हो सकता है, जिसमें ऋणी या उनकी संपत्ति के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है।
- 2) ऋणी पूर्वगामी डिफॉल्ट्स या विज़डम फाइनेंस के उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप होने वाली सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- 3) विज़डम फाइनेंस कानून द्वारा अनुमत किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग कर सकता है, जिसमें मुकदमे द्वारा, इक्विटी में, या कानूनी कार्रवाई द्वारा, या दोनों, या अन्यथा, चाहे किसी भी प्रतिज्ञा पत्र, शर्त या अवधि के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हो वित्तपोषण दस्तावेज, या वित्तपोषण दस्तावेजों में दी गई किसी भी शक्ति या अधिकार के प्रयोग की सहायता में और/या एक ऋणदाता के रूप में।
- 4) ऋणी पूर्वगामी डिफॉल्ट्स या विज़डम फाइनेंस उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप सभी कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- 5) विज़डम फाइनेंस के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के बावजूद, विज़डम फाइनेंस ऋणी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही या कोई अन्य उचित कार्रवाई शुरू करने का हकदार होगा यदि किसी भी समय विज़डम फाइनेंस के पास अपने विवेकाधिकार पर, यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि ऋणी ने कोई गलत बयानी की है और/या विज़डम फाइनेंस को कोई जाली दस्तावेज या गढ़ा हुआ जानकारी प्रस्तुत की है।

- 6) विज़डम फाइनेंस को ऋणी(ओं) को सभी अवैतनिक ईएमआई के बराबर परिसमापन क्षति का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, जो डिफॉल्ट ना होने की स्थिति में, ऋणी(ओं) द्वारा पूरी अवधि के लिए देय होती। विज़डम फाइनेंस ऋणी (ओं) से विज़डम फाइनेंस के कारण किसी भी पैसे के खिलाफ सेट-ऑफ के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और ऋणी से ऋणी की देय राशि की रिकवरी के लिए विज़डम फाइनेंस के साथ आयोजित ऋणी के सभी खातों को संयोजित कर सकता है। वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत विज़डम फाइनेंस को प्रदत्त सभी अधिकार और शक्तियां किसी भी अधिकार के अतिरिक्त और पूरक होंगी जो विज़डम फाइनेंस के पास किसी भी कानून और सुरक्षा दस्तावेजों के तहत ऋणी के खिलाफ लेनदार के रूप में है और उसके अपमान में नहीं होगा।

XI. प्रकटीकरण

- 1) ऋणी, ऋणी से संबंधित सभी जानकारी को खुलासा करने के लिए विज़डम फाइनेंस को स्वीकार करता है और अधिकृत करता है, ऋणी द्वारा यदि कोई प्रतिबद्ध सुविधा, ड्राडाउन, चूक, हो तो ऐसे तीसरे पक्ष/एजेंसियों को विज़डम फाइनेंस खुलासा करने के लिए उचित और आवश्यक समझ सकता है और/या, खुलासा करने के लिए जैसा किसी नियामक या कानून द्वारा अधिकृत या अनुरोध किया गया है। ऋणी ऐसी जानकारी को भी स्वीकार करता है और अधिकृत करता है, जिसका उपयोग विज़डम फाइनेंस/तृतीय पक्ष/आरबीआई द्वारा जैसा वह यचित समझते है लागू कानूनों के अनुसार संसाधित किया जाता है।
- 2) ऋणी अभी या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या खुलासा करने के लिए और ऋणी और/या उसके कारण अन्य द्वारा झेले गए किसी भी परिणाम के लिए विज़डम फाइनेंस को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। इस खंड XI के प्रावधान लोन शर्तों की समाप्ति और ऋणी की देय राशि के पुनर्भुगतान से बचे रहेंगे। ऋणी आगे समझता है कि विज़डम फाइनेंस किसी भी स्थिति में, व्यापारी/मनीव्यू या किसी तीसरे पक्ष से उत्पाद/सेवा की किसी भी सेटबैक/कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसकी सेवाओं का लाभ ऋणी द्वारा उठाया जा सकता है

XII. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

- 1) ऋणी यह जनता है कि ईमेल, फैक्समाइल, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति, आदि ("**इलेक्ट्रॉनिक मीडिया**") जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से वित्तपोषण दस्तावेजों, निर्देशों, स्वीकृतियों और संचार ("**संचार**") के प्रसारण में धोखाधड़ी परिवर्तन और गलत प्रसारण और गोपनीयता की अनुपस्थिति सहित कई जोखिम शामिल हैं। हालांकि, ऋणी वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत विभिन्न मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज़डम फाइनेंस और/या मनीव्यू से संचार प्राप्त करने और संचार प्रदान करने के लियु सहमत है।
- 2) ऋणी एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से, पुष्टि करता है और विज़डम फाइनेंस और मनीव्यू को निम्नानुसार वचन देता है:
- (a) विज़डम फाइनेंस और/या मनीव्यू उनकी आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार पर भरोसा करने का (ऐसा करने के लिए बाध्य किए बिना) अधिकारी होगा (और उसी को वास्तविक मानते हैं)। प्रदान किए गए या प्राप्त संचार के संबंध में किसी भी विसंगतियों या प्रश्नों के मामले में, विज़डम फाइनेंस और/या मनीव्यू द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिकॉर्ड को अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा।
- (b) ऋणी ने यह सुनिश्चित किया है और सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज़डम फाइनेंस या मनीव्यू को प्रदान किए गए संचार ऋणी द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इसके द्वारा सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि विज़डम फाइनेंस या मनीव्यू इस संबंध में किसी भी सत्यापन के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (c) ऋणी पुष्टि करता है कि विज़डम फाइनेंस या मनीव्यू संचार के पूरे या किसी भी हिस्से के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा क्योंकि यह संचार में प्रकट हो सकता है और यह एकमात्र ऋणी के जोखिम पर होगा।
- (d) विज़डम फाइनेंस और/या मनीव्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के आधार पर विज़डम फाइनेंस या मनीव्यू द्वारा किसी भी कार्य या किसी भी इनकार या चूक के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (e) विज़डम फाइनेंस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले लिखित रूप में संचार की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी और लिखित रूप में इस तरह के संचार का गैर-वितरण और गैर-अनुरूपता किसी भी तरह से इन लोन शर्तों के अंतर्गत विज़डम फाइनेंस के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

- (f) ऋणी को पता है और पुष्टि करता है कि विज़डम फाइनेंस और/या मनीव्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए किसी भी संचार पर कार्रवाई करने के लिए सहमत है, और केवल इस खंड में निहित उपक्रम के कारण उस पर भरोसा कर रहा है।

xiii. पृथक्करणीयता

ऋणी स्वीकार करता है कि इन वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत उसका प्रत्येक दायित्व स्वतंत्र है और बाकी हिस्सों से अलग है।

xiv. नोटिस

वित्तपोषण दस्तावेजों के संबंध में ऋणी को दी जाने वाली किसी भी नोटिस को वैध रूप से दिया गया माना जाएगा यदि ऋणी को दिया गया हो या पंजीकृत डाक द्वारा ऋणी के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यवसाय या निजी पते पर भेजा गया हो या छोड़ दिया गया हो। पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए ऐसे किसी भी नोटिस को ऋणी द्वारा डाक में डालने के समय से 48 घंटों के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा। विज़डम फाइनेंस का कोई भी नोटिस केवल तभी वैध माना जाएगा जब विज़डम फाइनेंस द्वारा उसके उपर्युक्त पते पर प्राप्त किया गया हो।

xv. असाइनमेंट

- 1) ऋणी संयुक्त रूप से या अलग-अलग हस्तांतरण या किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने सभी या किसी भी अधिकार, दायित्वों या कर्तव्यों को सौंपने या विज़डम फाइनेंस की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई तृतीय-पक्ष हित बनाने का हकदार नहीं होगा।
- 2) विज़डम फाइनेंस किसी भी तरीके से (संपूर्ण या आंशिक रूप से और भागीदारी अधिकारों के अनुदान के माध्यम से) अपने सभी या किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और/या देनदारियों को वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत बेचने, स्थानांतरित करने, दिए जाने या प्रतिभूतिकरण करने का हकदार होगा, बिना ऋणी की पूर्व लिखित सहमति या सूचना के और ऐसी शर्तों के रूप में जो विज़डम फाइनेंस तय कर सकता है। इस तरह के हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, ऋणी ऐसे समनुदेशिती या हस्तांतरणकर्ता को वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने दायित्व का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, ऋणी शेष ई-मैडेट /एनएसीएच को हस्तांतरिती/समनुदेशिती के पक्ष में प्रतिस्थापित करेगा यदि विज़डम फाइनेंस द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है।

xvi. सेट-ऑफ

डिफॉल्ट की घटना के बाद किसी भी समय जो जारी है, विज़डम फाइनेंस इस अनुबंध के अंतर्गत विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को देय किसी भी परिपक्व दायित्व के खिलाफ, भुगतान की जगह, बुकिंग शाखा या किसी भी दायित्व की मुद्रा की परवाह किए बिना ऋणी से देय किसी भी परिपक्व दायित्व को बंद कर सकता है (विज़डम फाइनेंस द्वारा लाभकारी रूप से स्वामित्व वाली सीमा तक)।

xvii. क्षतिपूर्ति

ऋणी, एतद्वारा विज़डम फाइनेंस, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और सलाहकारों का समय-समय पर क्षतिपूर्ति, बचाव करता है हानिरहित रखता है और किसी भी देयता, दावे, हानि, निर्णय, क्षति, लागत या व्यय के खिलाफ (सहित, बिना सीमा के, उचित वकील की फीस और व्यय) ऋणी द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों या डिफॉल्ट की घटना में निहित किसी भी नियम और शर्तों और दायित्वों का पालन करने या प्रदर्शन करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप या वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत विज़डम फाइनेंस द्वारा किसी भी अधिकार का प्रयोग, जिसमें सुरक्षा के किसी भी प्रवर्तन या ऋणी की देय राशि की वसूली शामिल है।

xviii. शासी कानून और विवाद समाधान

- 1) समग्र सुविधा, दी गई सुविधा और वित्तपोषण दस्तावेज भारत के कानूनों के अनुसार शासित समझे जाएंगे।
- 2) यहां निहित तथ्यों विपरीत कुछ भी होने के अतिरिक्त, इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले और/या दावे से उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद, विवाद और/या दावे, जिसमें इसके निर्माण, व्याख्या, अर्थ, दायरे, संचालन, प्रभाव और/या वैधता

शामिल हैं ("विवाद"), Presolv360 द्वारा प्रशासित, एक स्वतंत्र संस्था, इसके विवाद समाधान नियमों ("नियम") के अनुसार मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा। पक्ष इस बात से सहमत हैं कि मध्यस्थता नियमों के अंतर्गत नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष होगी। मध्यस्थता की न्यायिक सीट बैंगलोर, भारत होगी। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून होगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। उपरोक्त के अधीन, सीट पर सक्षम न्यायालयों के पास विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

- 3) पक्ष ऑनलाइन विवाद समाधान के माध्यम से वस्तुतः मध्यस्थता कार्यवाही करने के लिए सहमत हैं ("ओडीआर") Presolv360 का मंच (<https://presolv360.com/>) और, ऐसे उद्देश्य के लिए, ईमेल पते और/या उपलब्ध मोबाइल नंबर, अन्यथा अनुबंध में संदर्भित पर विचार किया जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अपने ईमेल पते और/या मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की स्थिति में ऐसी संस्था को सूचित करने के लिए प्रत्येक पक्ष जिम्मेदार होगा। घटना में मध्यस्थता की कार्यवाही वस्तुतः मध्यस्थ की राय में प्रशासित नहीं किया जा सकता है, कार्यवाही शारीरिक रूप से आयोजित की जाएगी, और कार्यवाही का स्थान पार्टियों की सुविधा सहित मध्यस्थ द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।

XIX. विविध

- 1) विज़डम फाइनेंस के रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियां अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण होंगी और ऋणी की देय राशि और विज़डम फाइनेंस द्वारा प्रस्तुत देय राशि का कोई भी विवरण ऋणी द्वारा स्वीकार किया जाएगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा।
- 2) ऋणी की देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए ऋणी की देयता, उस मामले में जहां एक से अधिक ऋणी ने संयुक्त रूप से किसी भी समग्र सुविधा या दी गई सुविधा के लिए आवेदन किया है, संयुक्त और कई होंगे।
- 3) ऋणी सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और विज़डम फाइनेंस के साथ सहयोग करेगा जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक है: (i) किसी भी आरबीआई दिशानिर्देश/निर्देशों का पालन करने के लिए, या (ii) विज़डम फाइनेंस को वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अधिकारों का पूर्ण लाभ देने के लिए। पूर्वोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऋणी एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि ऐसा करने में विफलता पर, ऐसे परिवर्तनों को वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल माना जाएगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा।
- 4) किसी भी समग्र सुविधा और/या दी गई सुविधा के किसी भी निलंबन या समाप्ति के अतिरिक्त, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार विज़डम फाइनेंस के सभी अधिकार और उपचार तब तक जीवित रहेंगे जब तक कि ऋणी की देय राशि की विज़डम फाइनेंस द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाती।
- 5) ऋणी स्वीकार करता है कि ब्याज दर, अतिदेय प्रभार, सेवा प्रभार और अन्य प्रभार देय हैं और या वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत ऋणी द्वारा भुगतान किए जाने के लिए सहमत हैं, उचित और स्वीकार्य हैं।
- 6) ऋणी स्पष्ट रूप से जनता है और स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस इस तरह की गतिविधियों को स्वयं या अपने कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिकारी होगा और एक या अधिक तृतीय पक्षों को नियुक्त करने के लिए पूर्ण शक्ति और अधिकार प्राप्त है (इसके बाद "सेवा प्रदाता" के रूप में संदर्भित) जिसका विज़डम फाइनेंस चयन कर सकता है और ऐसे तीसरे पक्ष को अपने सभी या कोई भी कार्य, ऋणी प्रशासन से संबंधित जानकारी के स्रोत, पहचान और सत्यापन, समग्र सुविधा और/या दी गई सुविधा की निगरानी और नोटिस भेजने, ऋणी से संपर्क करने, विज़डम फाइनेंस के पक्ष में ऋणी से नकद/चेक/ड्राफ्ट/ई-मैनेट/एनएसीएच प्राप्त करने सहित सभी वैध कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने से संबंधित वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अधिकार और शक्ति आदि सौंप सकता है। विज़डम फाइनेंस ऋणी के एकमात्र जोखिम और लागत पर, ऋणी की देय राशि एकत्र करने के लिए सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) को संलग्न करने का भी अधिकारी होगा और आगे ऋणी से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्यों और आंकड़ों को साझा करने का अधिकारी होगा जो विज़डम फाइनेंस पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझता है। इस संबंध में, विज़डम फाइनेंस ऐसे सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और इससे जुड़ी चीजों, या आकस्मिक कार्यों को करने और निष्पादित करने का अधिकार भी सौंप सकता है, जैसा विज़डम फाइनेंस उचित समझे। ऋणी को ऐसे सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) की नियुक्ति के बारे में ईमेल/संदेश के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा। ऋणी ऐसे प्रतिनिधिमंडल को पहचानता है, स्वीकार करता है और सहमति देता है।
- 7) ऋणी जानता और समझता है कि समग्र सीमा उपलब्धता अवधि या ऐसी अवधि के लिए उपलब्ध हो सकती है जैसा कि विज़डम फाइनेंस उचित समझ सकता है। ऋणी समग्र सीमा तक कई डाउन करने में सक्षम हो सकता है। विज़डम फाइनेंस और ऋणी जब भी आवश्यक हो, एक्सचेंज कम्युनिकेशन/विज़डम फाइनेंस समग्र सीमा के उपयोग/विस्तार/संशोधन/निलंबन को रिकॉर्ड करने के लिए एक लिखित दस्तावेज जारी कर सकता है।

- 8) ऋणी स्वीकार करता है कि इसके अंतर्गत वित्तपोषण लेनदेन ऋणदाता और ऋणी के संबंध को जन्म देता है जैसा कि उसके और विज़डम फाइनेंस के बीच होता है, विज़डम फाइनेंस द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के संबंध में नहीं।
- 9) ऋणी एतद्वारा विज़डम फाइनेंस को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय प्रमाण पत्र, निवास पत्र, पता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जिनमें व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी शामिल है, जो उनके द्वारा किसी भी सुविधा को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं और वह विज़डम फाइनेंस द्वारा उस के बाद के प्रतिधारण के लिए भी सहमति देते हैं।
- 10) ऋणी समय-समय पर ऋणी के पैन नंबर/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाता विवरण प्राप्त करने के लिए विज़डम फाइनेंस को स्वीकृत और अधिकृत करता है और जब विज़डम फाइनेंस उचित समझे क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट भी तैयार करता/प्राप्त करता है। ऋणी एतद्वारा सहमति भी देता है और विज़डम फाइनेंस को आधार ओ-केवाईसी या अन्यथा द्वारा अपना केवाईसी सत्यापन करने के लिए अधिकृत करता है और ऐसे सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत करता है जो उसकी ओर से या अन्यथा आवश्यक हो सकते हैं ताकि आधार ओर -केवाईसी के माध्यम से इस तरह के सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा किया जा सके और किसी भी प्राधिकरण के साथ ऐसी जानकारी साझा की जा सके और ऐसी जानकारी को इस तरह से संग्रहीत किया जा सके जो वह उचित समझे।
- 11) किसी भी असहमति की घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य की जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, अधिनियम, चूक, दावों, उल्लंघन, डिफॉल्ट या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के बारे में विज़डम फाइनेंस और ऋणी के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, पूर्वगामी में से किसी की भौतिकता के रूप में विज़डम फाइनेंस की राय ऋणी पर अंतिम और बाध्यकारी होगी।
- 12) ऋणी और विज़डम फाइनेंस पारस्परिक रूप से लोन शर्तों के नियमों और शर्तों पर एक नई सुविधा प्रदान करने और ऋणी द्वारा इस तरह के आगे पत्र/उपक्रम के निष्पादन पर सहमत हो सकते हैं जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक हो सकता है।
- 13) वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी और चीज के अतिरिक्त, ऋणी सहमत है और पुष्टि करता है कि विज़डम फाइनेंस किसी भी कारण से ऋणी को किसी भी नोटिस के बिना, अंतिम निपटान तिथि तक किसी भी समय समग्र सुविधा के अनाकर्षित/अनुपलब्ध हिस्से को रद्द करने का, बिना शर्त अधिकार सुरक्षित रखता है। इस प्रकार का कोई भी रद्दीकरण/आहरण ऋणी को देय दायित्वों को चुकाने के लिए उसके किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

यदि ऋणी ने कई डॉडाउन का लाभ उठाया है और समेकित भुगतान करता है तो विज़डम फाइनेंस के पास जैसा कि वह उचित समझता है भुगतान को विनियोजित करने का विवेक होगा।

xx. शिकायत निवारण

यदि ऋणी को सुविधा या उससे संबंधित किसी मामले के संबंध में कोई शिकायत है, तो ऋणी किसी भी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार - सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) पर सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे के बीच कस्टमर सर्विस टीम से संपर्क कर सकता है:

पंजीकृत ई-मेल	customercare@whizdmfinance.com
कार्यालय के पते पर पोस्ट/कूरियर या व्यक्तिगत रूप से विजिट	विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड १७/१, तीसरी मंजिल, द एड्रेस बिल्डिंग, आउटर रिंग रोड, मराठाहल्ली, कडुबिसेनाहल्ली, बेंगलुरु - ५६०१०३
फोन नंबर	080-69501313

शिकायत निवारण प्रक्रिया में एस्केलेशन और आगे की जानकारी और जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट लिंक देखें - <https://whizdmfinance.com/grievance-redressal/>

xxi. स्वीकृति

- 1) आवेदक को पता है कि विज़डम फाइनेंस इन लोन शर्तों के लिए एक पार्टी बनने के लिए विज़डम फाइनेंस की नीति के अनुरूप केवल सभी शर्तों और लोन शर्तों और अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में आवेदक द्वारा भरे गए विवरणों के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के बाद ही सहमत होगा। आवेदक इस बात से सहमत है कि विज़डम फाइनेंस के अधिकृत अधिकारी बैंगलोर में इस पर हस्ताक्षर करेंगे या पहले संवितरण की तारीख, जो भी पहले हो पर इन लोन शर्तों का समापन किया जाएगा और उस तारीख को कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा।

- 2) "मैं स्वीकार करता हूँ" पर क्लिक करके, ऋणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन लोन शर्तों पर हस्ताक्षर करता है और कानूनी रूप से इसकी शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। इन लोन शर्तों के ऋणी की स्वीकृति का गठन होगा: (i) ऋणी का अनुबंध अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और इन लोन शर्तों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों से बिना शर्त बाध्य होने के लिए; और (ii) ऋणी की पावती और पुष्टि कि इन लोन शर्तों (वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को ऋणी द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।